22.8.25 पत्रावली पेश हुई। बहस उभय-पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। विवाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्ट
एवं उपखण्डाधि
हनुमानग

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
8.2025	हूणताराम के नाम दर्ज आराजी के विरासतन नामान्तरण में किसी भी पक्ष को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है और यदि विरासतन नामान्तरण दर्ज होता है तो वारिस होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिस्सानुसार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित होकर एवं वर्तमान में अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में न होने के कारण रहन-बैय, अंतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। 2. सुविधा का संतुलन: चूंकि राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि एवं हूणाराम के नाम है व यदि विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं होता है तो दोनों ही पक्षों को असुविधा होगी और स्थगन के कारण विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकेगा अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है। 3. अपूर्णनीय क्षति: हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहती है तो स्व. हूणताराम के नाम दर्ज भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हो पाता है तो प्रार्थी और अप्रार्थीगण दोनों ही पक्ष भूमि के उपयोग-उपभोग	सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 2/2 RTA पूर्व में सुनी जा चुकी है हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन आधारभूत बिन्दुओं के आधार पर निर्णित करना उचित समझते है -

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :-

वादग्रस्त भूमि ब, चक 15HMH के खाता नं. 15/15 रकबा 6.325 है. में प्रार्थीया के पिता स्व. डूंगाराम के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया के अनुसार यह भूमि डूंगाराम को सावलाराम से विरासतन प्राप्त हुई है और उक्त 1/3 हिस्सा में प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा है और अप्रार्थीगण कृषि भूमि का नामान्तरण कराये बिना अन्य व्यक्तियों को रहन-बैय, अंतरित करने की फिराक में है जबकि अप्रार्थी संख्या 02 व 03 के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि डूंगाराम के नाम दर्ज है जिसे अन्य कोई व्यक्ति रहन-बैय, विक्रय नहीं कर सकता है और डूंगाराम के नाम दर्ज भूमि का उनकी मृत्यु के पश्चात् विरासतन नामान्तरण नहीं हो पा रहा है

न्यायालय के अभिमत में, अप्रार्थीगण ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीया डूंगाराम की वारिस है और प्रार्थीया ने भी स्व० डूंगाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा में केवल 1/4 हिस्सा भूमि का अनुतोष चाहा है तो स्व. डूंगा

से वंचित होंगे और दोनों ही पक्षों को तात्विक क्षति कारित होगी।

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है अतः पूर्व में दिनांक 28.03.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ